प्रकरण संख्या 12/103/2021
भगवान सिंह सैनी बनाम पी.आई.ओ. अति. जिला कलक्टर (द्वितीय)

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

28.06.2021

पत्रावली पेश हुई, अपीलार्थी उप0 अपीलार्थी को सुना अपीलार्थी के कथन एवं लोक सूचना अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अपने जवाब पत्रांक 1184 दिनांक 23.06.2021 के द्वारा अवगत कराया है, कि अपीलार्थी द्वारा जो आवेदन पत्र दिनांक 19.03.2021 से चाही गई सूचना नही दिये जाने के संबंध में पूर्व अपील संख्या 12/73/2021 पेश की गई। लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई सूचना पूर्व पत्रांक 18 दिनांक 29.04.2021 से उपलब्ध कराई जाने के कारण अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.05.2021 को अस्वीकार की जा चुकी है।

हमने जवाब एवं अपीलार्थी के कथन पर मनन किया अपीलार्थी द्वारा एक ही प्रकरण में दो बार अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 19.03.2021 में चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक 18 दिनांक 29.04.2021 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है। बार–बार कार्यवाही कर अवगत कराने की अपेक्षा लोक प्राधिकरण से की गई है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत स्वीकार्य किये जाने योग्य नही है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)